**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2017 को आयोजित नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही ।**

---

**उपस्थिति** :– पंजी के अनुसार ।

1. **SPUR FUND द्वारा संचालित योजना** :–

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि SPUR आच्छादित नगर निकायों के पास अभी भी SVS मद में राशि लम्बित है तथा व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है । निर्देश दिया जाता है कि व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय तथा शेष राशि का उपयोग यदि फरवरी माह के अन्त तक नहीं हो पाता है तो उसे स्वच्छ भारत मिशन (SBM) योजना में हस्तान्तरित कर व्यय करते हुए दिनांक 15.03.2017 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय । जो नगर निकाय SBM योजना में अधिक राशि व्यय कर चुके हैं, वे SVS मद की शेष राशि को SBM योजना में समायोजित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध करायें ।

नगर आयुक्त, मुंगेर नगर निगम द्वारा SVS मद का 02.69 करोड़ उपलब्ध होने तथा इसमें से मात्र 50.00 लाख ही व्यय करने की बात कही गयी । नगर आयुक्त, आरा नगर निगम ने शौचालय निर्माण हेतु 02.00 करोड़ राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया । इस पर SPUR को निर्देश दिया गया कि मुंगेर के पास उपलब्ध राशि में से 02.00 करोड़ नगर आयुक्त, आरा को उपलब्ध करा दिया जाय । नगर आयुक्त, आरा को निर्देश दिया गया कि वे शीघ्र उक्त राशि का व्यय करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दें ।

नगर निकायों को पुनः स्मरण दिलाते हुए निर्देश दिया गया कि SPUR की जो भी राशि उनके पास उपलब्ध है, उसका व्यय करते हुए 15.03.2017 तक निश्चित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दें ।

**(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

2. **मुख्य मंत्री नगर विकास योजना** :–

सभी नगर निकायों को वर्ष 2005–06 से 2013–14 तक आवंटित राशि के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक प्रपत्र (20 कॉलम का) भेजा गया था । समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि बहुत से नगर निकाय अभी भी पूर्ण जानकारी विभाग को उपलब्ध नहीं करा पाये हैं । इस सम्बन्ध में बेगूसराय एवं भागलपुर के नगर आयुक्त से कारण पृच्छा पूछने का निर्देश दिया गया ।

नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम द्वारा बताया गया कि उनके पास अभी भी लगभग 02.00 करोड़ उपलब्ध है एवं शेष व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है । निर्देश दिया गया कि शेष बची राशि का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र और 20 कॉलम वाले प्रपत्र में प्रतिवेदन भेज दें ।

वर्ष 2013–14 तक आवंटित राशि के सम्बन्ध में अनेक बार स्पष्ट निर्देश दिया गया कि या तो उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय या राशि लौटा दी जाय, परन्तु नगर निकायों द्वारा अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है । इस पर प्रधान सचिव द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे 20 कॉलम वाले प्रपत्र में शीघ्र पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए दिनांक 17.02.2017 तक शेष राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें या राशि वापस कर दें । इस सम्बन्ध में दिनांक 17.02.2017 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया । उक्त बैठक में यदि यह पाया गया कि अभी भी किसी के पास राशि शेष बची हुई है तो उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी ।

**(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

3. **AMRUT योजना** :–

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी, डेहरी–डालमियानगर नगर परिषद द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण पार्क विकास की योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पायेगा, क्योंकि पूर्व में जो जमीन इसके लिए चिह्नित किया गया था, वह जल संसाधन विभाग की है और जल संसाधन विभाग द्वारा उसे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है । उन्हें निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्ध में विभाग को लिखित रूप से जानकारी उपलब्ध करायें ताकि विभाग के स्तर से भी जल संसाधन विभाग से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा सके । साथ ही यह निर्देश दिया गया कि आगे से डेहरी–डालमियानगर नगर परिषद को फिलहाल इस मद में कोई भी राशि नहीं उपलब्ध कराया जाय ।

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा AMRUT योजना के अधीन SAAP-2 से सम्बन्धित पार्क विकास योजना का DPR नहीं उपलब्ध कराया गया है । निर्देश दिया गया कि SAAP-2 से सम्बन्धित पार्क विकास योजना का DPR शीघ्र विभाग को उपलब्ध करायें तथा जिस नगर निकाय द्वारा DPR नहीं उपलब्ध कराया जायेगा, उन्हें राशि न देकर दूसरे नगर निकाय को राशि आवंटित कर दी जायेगी ।

सभी श्रोतों से बैठक की सूचना दिये जाने के बाद भी पटना नगर निगम से किसी जवाबदेह पदाधिकारी के बैठक में भाग नहीं लेने पर प्रधान सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी । बाद में काफी विलम्ब से नगर आयुक्त के बैठक में आने पर उन्हें इससे अवगत भी कराया गया । पटना नगर निगम से SAAP-2 में पार्क की योजना का DPR प्राप्त नहीं हुआ है जिसे शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज द्वारा बताया गया कि किशनगंज में सेना की जमीन उपलब्ध है, जिसे उपलब्ध कराने हेतु उनके द्वारा सेना के पदाधिकारी से अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक जमीन नहीं मिली है । निर्देश दिया गया कि स्कूल, कॉलेज की जमीन अगर उपलब्ध होती है तो वहॉ पार्क विकास की योजना तैयार कर उपलब्ध करायें ।

**(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

4. **स्वच्छ भारत मिशन (SBM)** :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शौचालय निर्माण कार्य की गति कुछ नगर निकायों में अभी भी संतोषजनक नहीं है । कुछ नगर निकायों द्वारा सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी । प्रधान सचिव द्वारा सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि चूँकि शौचालय निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है बल्कि पूरे नगर निकाय क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त कराना सरकार का लक्ष्य है, इसलिए सभी नगर निकाय यह सुनिश्चित करें कि हर हालत में वर्ष 2017–18 में उनका निकाय खुले में शौच से मुक्त घोषित हो जाय । साथ ही सामुदायिक शौचालय हेतु जमीन की समस्या के समाधान हेतु सम्बन्धित जिले के जिला पदाधिकारी से वार्ता करने का निदेश दिया गया ।

समीक्षा के क्रम में बगहा नगर परिषद में शौचालय निर्माण कार्य की स्थिति बहुत ही खराब पायी गयी । कार्यपालक पदाधिकारी को प्रत्येक बैठक में कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया जाता है, परन्तु उनके द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । अतः उनसे कारण पृच्छा पूछने का निर्देश दिया गया ।

**(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

5. **मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना** :–

समीक्षा के क्रम में नगर निकायों में इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक पायी गयी । निर्देश दिया गया कि इसमें और तेजी लाकर योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराया जाय ।

**(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

6. **मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना** :–

मुजफ्फरपुर, दानापुर एवं फुलवारीशरीफ में बुडको द्वारा JNNURM योजना के अन्तर्गत पेयजलापूर्ति का कार्य किया गया है, परन्तु सभी क्षेत्रों में कार्य पूर्ण नहीं हो सका है । JNNURM योजना के बन्द हो जाने के कारण अब इसे मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया तथा तीनों नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु एक सप्ताह के अन्दर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध करायें, जिसमें House Connection का भी उल्लेख हो ।

बाढ़ एवं मोकामा में PHED द्वारा जिन क्षेत्रों में कार्य कराया जा रहा है, उसे छोड़कर शेष वार्डों में कार्य योजना के सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया ।

**(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

7. **IHSDP** :–

सभी सम्बन्धित नगर निकायों को यह ज्ञात है कि हर हालत में इस योजना के तहत कार्यान्वित हो रहे आवासों का निर्माण कार्य मार्च, 2017 तक पूर्ण कर लेना है, बावजूद इसके समीक्षा के क्रम में आवासों के निर्माण कार्य की प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं पायी गयी । अतः निर्देश दिया गया कि निर्धारित

समय सीमा के अन्दर हर हालत में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय ।

**(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

8. **RAY** :–

समीक्षा के क्रम में इस योजना के तहत कुल स्वीकृत आवासीय इकाइयों के निर्माण कार्य के विरूद्ध पटना, कटिहार, दरभंगा एवं गया में कराये जा रहे निर्माण कार्य की प्रगति काफी धीमी पायी गयी । निर्देश दिया गया कि कार्यों में तेजी लाकर यथाशीघ्र इनका कार्य पूर्ण करायें । जिन आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है, उनमें भी कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाय ।

पटना फेज-III के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 1085 में से मात्र 240 आवासीय इकाइयों का ही निर्माण कार्य कार्यान्वयन एजेन्सी बुडको द्वारा अभी तक प्रारम्भ किया गया है जो असंतोषप्रद है । इन्हें कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया ।

**(अनुपालन–संबंधित नगर आयुक्त/बुडको)**

9. **Housing for All** :–

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल स्वीकृत आवासीय इकाइयों के विरूद्ध 75% में कार्यारम्भ एवं Geo-tagging की शर्त्त रखी गयी है । समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि 34 नगर निकायों में कुल स्वीकृत 13368 आवासीय इकाइयों के विरूद्ध अब तक मात्र 8428 लाभुकों को ही DPR के साथ भारत सरकार के Portal पर attach किया गया है । इनमें से 7217 लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया गया है एवं 6354 का Geo-tagging हुआ है । यह प्रगति 75% से कम है । अतः निर्देश दिया गया कि शेष लाभुकों को भी कार्यादेश निर्गत करते हुए Geo-tagging करने की कार्रवाई की जाय ताकि भारत सरकार की शर्त्तों का अनुपालन हो सके ।

**(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

10. **DAY-NULM** :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पुराने रैनबसेरों के जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति अभी भी काफी धीमी है । साथ ही अवैध कब्जा वाले रैनबसेरों से कब्जा अभी भी हटाया नहीं जा सका है । निर्देश दिया गया कि रैनबसेरों के निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय ।

**(अनुपालन–नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

11. सभी नगर निकायों को निर्देश दिया कि नगर निकाय की निधि से कार्यान्वित होने वाली योजनाओं के लिए भी ई–टेंडर की कार्रवाई की जाय ।

12. सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि चूँकि वर्ष 2017–18 का बजट 31 मार्च, 2017 तक स्वीकृत हो जाना है, इसलिए सभी नगर निकाय अपने

निकाय का वर्ष 2017–18 का बजट तैयार कर फरवरी, 2017 तक उपलब्ध करा दें ।

13. बक्सर और बेतिया के कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः इनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया ।

**(अनुपालन–निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

10/2/2017

**(चैतन्य प्रसाद)**
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 935 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक : 11/2/17

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

10/2/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 935 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक : 11/2/17

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/2/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 935 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक : 11/2/17

प्रतिलिपि : सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/आई0टी0 मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/2/2017

प्रधान सचिव